HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// ORDER //

No. E/3035./ Jabalpur, dated 18/04/2017 19

Shri Abhishek Patel, Section Officer (Protocol) is posted in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice for the purpose of assisting the Secretariat in Protocol matters. Shri Patel will have his seat in the Secretariat.

Sd/-
(MOHD. FAHIM ANWAR)
REGISTRAR GENERAL

Endt. No. E/3036/ Jabalpur, dated 18/04/2017 19

Copy forwarded to:-

1. Principal Registrar, High Court of Madhya Pradesh Bench Indore/Gwalior
2. The Registrar Admn., High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur
3. Registrar-cum-PPS to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur
4. Joint Registrar (Protocol) High Court of M.P., Jabalpur
5. Assistant Registrar Accounts/Estb High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur
6. Accounts Officer, High Court of M.P., Jabalpur
7. Shri Abhishek Patel, Section Officer (Protocol), High Court of M.P., Jabalpur
8. P.S. to Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur
9. P.S. to Principal Registrar Exam & ILR/Vigilance/Judicial, High Court of M.P., Jabalpur
10. P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M.P., Jabalpur
11. Asstt. Estt./Pay fixation/Service Book/A.P.O(all) High Court of M.P. Jabalpur

for information & necessary action.

18.4.17

(CHANDRESH KUMAR KHARE)
REGISTRAR (ADMN.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक E/3037/ जबलपुर, दिनांक 19/04/2017

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अनुवादक के पद पर वेतन बैंड–2 में वेतनमान रू. 9300–34800 ग्रेड पे रू. 3200/– में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेश पर्यन्त परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री चन्द्रनाथ परिहार आत्मज श्री हरिलाल परिहार	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	कु. दीक्षा तनेजा, आत्मजा श्री रमेश तनेजा	खण्डपीठ ग्वालियर
3.	कु. प्रगति विश्वकर्मा, आत्मजा श्री हरगोविन्द विश्वकर्मा	मुख्यपीठ जबलपुर
4.	कु. चेतना झारिया, आत्मजा श्री शिव दास झारिया	मुख्यपीठ जबलपुर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. **यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।**

3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

.........2

6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।

9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी ।

12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/–
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक E/3038 / जबलपुर, दिनांक 19/04/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),

3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल./(निरी. एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.–रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001, एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001, एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर, एवं ग्वालियर
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार ...., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/ डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री चन्द्रनाथ परिहार आत्मज श्री हरिलाल परिहार, काली चौक, महावीर वार्ड, सिवनी, (म.प्र.) 480661,
18. कु. दीक्षा तनेजा, आत्मजा श्री रमेश तनेजा, हाउस नं. 295, वार्ड नं.–20, नियर भार्गव कॉलोनी, नजूल कॉलोनी, गुना (म.प्र.) 473001,
19. कु. प्रगति विश्वकर्मा, आत्मजा श्री हरगोविन्द विश्वकर्मा, क्वाटर नंबर एच–21, डिंडौरी नाका, मण्डला (म.प्र.) 481661,
20. कु. चेतना झारिया, आत्मजा श्री शिव दास झारिया, म.नं.–205, भगत सिंह वार्ड, बड़ा पत्थर, रांझी, जबलपुर (म.प्र.) 482005

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

प्रीति/सी–3

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक E/3039/ जबलपुर, दिनांक 19/04/2017

श्री शुभाकर मिश्रा, आत्मज श्री विष्णु कांत मिश्रा को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400 में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेश पर्यन्त परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. **यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।**
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो ~~मेरी~~ सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ~~मेरा~~ होगा।
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त्त माना जावेगा।

7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।

9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी ।

12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/-
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक E/3040/ जबलपुर, दिनांक 18/04/2017

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल./सतर्कता/एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,

3. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार, जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार ...., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर, म.प्र.,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्था./अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्री शुंभाकर मिश्रा, आत्मज श्री विष्णु कांत मिश्रा, वार्ड नं.–1, निपनियां शासकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल के पीछे, निपनियां, जिला रीवा, (म.प्र.) 486001,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

18.4.17

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

प्रीति/सी–3